

दस रुपये दस रुपये दस रुपये दस रुपये दस रुपये दस रुपये



डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

RAY TO सूर्योदय मंदिर वाला (पारेष्टो
चिन्हां) 765, K.V. राज्य परिवार
त्रिपुर चिन्हां (पारेष्टो पारेष्टो)
दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY



दस रुपये



डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

के डाकघर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे नहीं लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिखें।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

21-12-1970/21-12-1970

सूर्योदय मंदिर वाला (पारेष्टो)

30301

46F 963616

सूचना प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रेषित

लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी

कार्यालय :- सहायक महाप्रतिष्ठान (परेष्ठा निवास) - ७६५ फ़ि. वी.
एकल परिपद जयपुर-निवासी परेष्ठा (परेष्ठा) (साकेतपुर)

(1) आवेदक का पूरा नाम

ਜਗਾਗ ਰਾਮ ਪੁਲੀ ਜਗਾਗ ਸੰਦਰਾ ਛੋਟੇ ਰਾਮ-ਗਾਵ

(2)

(3)

विभाग कार्यालय का नाम, जिससे सूचना सम्बन्धित है प्राविदिक विभाग

आद्य इतिहास लिखेत

सूचना की प्रकृति ... सुधर के अधिकार 2005 के तहत

सूचना की अवधि३१.०८.२०१५.....

चाही गई सूचना का विवरण १८५३ A. सिंगलरी ट्रायप्पर-क्रॉनि प्रेस

~~CCS. T. (172-11 Part-1, N.R. 88 XXV 27. 27000)~~ 27. 27000

काम त्रिपुरा का प्रमुख नगर, काम २० २१८ २१९ तिथि २१/१/२०१५
प्रमाण संख्या - N-17715 + वा. अमृत देवी ११११ / १००१

पत्राय स०-८०-११७६५ वा। गग्पुर अंगना ॥१॥ पट् (संलग्न इति)
क्या फीस देने का सवूत संलग्न कर दिया है ? (३४, २१)

(4) क्या फीस देने का स्वूत संलग्न कर दिया है ?

1. आवेदन शुल्क रूपये ८४२८ रु ३७५ रु १०/- २५ रु

ਡੀਡੀ/ਵੈਕਸ਼ ਚੈਕ ਨ. 70 46F 963616

बैंक का नाम

2. रिकार्ड के निरीक्षण हेतु शुल्क

3. फोटो प्रति शुल्क

(5) यदि आवेदक वीपीएल परिवार से है तो दस रुपये की फीस देय नहीं है।

वीपीएल क्रमांक संख्या ७६

स्थान : लूगाली

दिनांक : २७/१/२१

ग्रन्थालय
वाचेक के हस्ताक्षर
३५० ९३१७४६६



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

उत्तरी क्षेत्र प्रथम, बी -4/184, चिन्हकूट ल्कीम,
वैशाली नगर, जयपुर - 302021

फार्म सं 218

पंत्राक सं :- एन-1/765 के.वी. जयपुर-भिवानी II /पि.इ

दिनांक 21.08.15

विषय :- 765 के. वी. सिंगल सर्किट जयपुर - भिवानी पारेश लाईन (सर्किट - II, Part-I, N.R.S.S-XXV के अन्तर्गत) के मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों के समबन्ध में।

महेदय, *Jawwahar Singh*
श्री ...*Chhotu Ram* जाति ...*Tel*
चाम ...*Chhotu Ram* पुत्र श्री ...*Chhotu Ram* जाति ...*Tel*
दाकघर ...*Chhotu Ram* पिनकोड़ ...*203101* तहसील ...*आमरुद* जिला ...*जयपुर*

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिं (भारत सरकार का उद्यम) 765 के.वी. एकल परियोजना जयपुर-भिवानी लाईन का निर्माण कर रहा है। विद्युत सुरक्षा नियमों के अधीन ऐसे जन सुरक्षा को व्याप्ति रखते हुए यह आवश्यक है कि लाईन के दोनों तरफ मध्य में 42.5 मीटर तक की दूरी के बिनान्युक्त वृक्ष जिनका विवरण नीचे दिया गया है काट लिये जाए। इसके लिए विभाग को इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सलाई) एक्ट - 1948 की वाय 42 के साथ परिष इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 भाग-3 के अन्तर्गत विभिन्न वृक्षों का प्रयोग करते हुए कर्य कर्त्ता को प्रावधानित किया गया है।

अतः आपको अनुरोध है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के भन्दर सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर तथा अनुमति प्राप्त कर वृक्षों को काट लें अव्यय होना। वृक्षों का मुआवजा तहसीलदार/सम्बन्धित दायकीय विभाग द्वारा विश्वासित तथा सत्यापित एवं वृक्षों के पातम के बाबा पावरग्रिड के द्वारा देय होगा।

वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	लोकेशन नं.	वृक्ष का नाम /प्रजाति	संख्या	वृक्ष की माप (मी.) (लीने से ऊँचाई पर)	वृक्ष की अनु. आयु	खसरा नं./ मौजा	अव्य विवरण
५५१०		लंबना	०५	०५-०.६ ०५-०.७	५ म	१४६	राईपांडीनपुरा
५५१०८ २७/१२९१		लौपडी	०१	०१-१.२०	७ म		

कृते पावरग्रिड, जयपुर

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार जिला

आपको यह पत्र इस आद्यत के साथ प्रेसित किया जाता है कि वृक्षों का उत्तित मुआवजा बनाकर एवं स्थानित प्राप्तापित कर, इस कार्यालय को प्रेसित करें जिससे वृक्षों का मुआवजा दिया जाए।

2. उप जिला अधिकारी

कृपया दिये गये विवरण के अनुसार उपरोक्त वृक्ष मालिकों को भारत सरकार के उद्यम के हित को व्याप्ति रखते हुए वृक्षों को काटने की अनुमति है। यदि उक्त वृक्ष मालिक विश्वासित अवधि में विद्यिक कार्यालयी सम्पन्न कर अनुमति नहीं प्राप्त कर पाता है तो विद्येष परिदिव्यतियों को व्याप्ति रखते हुए इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट के अधीन तथा सुरक्षा अधिनियमों को व्याप्ति में रखकर अधीक्षताकारी को उल्लिखित वृक्षों को काटने की अनुमति प्राप्त करें ताकि अधीक्षताकारी द्वारा अधिगम कार्यालयी स्तर के स्तर से पूर्ण की जा सके।

नोटिस प्राप्त किया :

.....
(नाम सहित हस्ताक्षर)
४३५२३३२८४३

सहायक महाप्रबंधक (पावरग्रिड)

तहसील कार्य हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि श्री

पोर्ट तह जिला

पट वृक्षों का मुआवजा द्वारा

पुश्प श्री

वृक्षों की संख्या प्रजाति सहित

विवासी वाम

है। रिपोर्ट सेवा हेतु अवासित है।

हस्ताक्षर पटवारी (मुहर सहित)

तहसीलदार (मुहर सहित)

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

उत्तरी क्षेत्र प्रथम, बी -4/184, चिन्हकूट रुक्कीम,
वैशाली नगर, जयपुर - 302021

फार्म सं..... 219

दिनांक ११.०४.१५

पंत्राक सं. :- एन-1/765 के.वी. जयपुर-भिवानी II /प्रौद्योगिकी

विषय :- 765 के. वी. सिंगल सर्किट जयपुर - भिवानी पारेषण लाईन (सर्किट - II, Part-I, N.R.S.S-XXV के अन्तर्गत) के मार्ग में
पड़ने वाले वृक्षों के समबन्ध में।

महोदय,

श्री Mangi Lal Jat पुत्र श्री Chhotu Ram Jat जाति Jat
ग्राम बुजी निया डाकघर नं/१८१ पिनकोड ३०३७०१ तहसील ३०१३ जिला ५५५५

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिं. (भारत सरकार का उद्यम) 765 के.वी. एकल परियंत्र
जयपुर-भिवानी लाईन का निर्माण कर रहा है। विद्युत सूखकों नियामों के अधीन एवं जन सूखकों की स्थान में रखते हुए यह आवश्यक है कि लाईन के दोनों तरफ मध्य से
42.5 मीटर तक की दूरी के बिशनयुक्त वृक्ष जिनका विवरण नीचे दिया गया है काट लिये जाए। इसके लिए विभाग जो इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी (सलाई) एक्ट -1948 की
दाय 42 के साथ पठित इण्डियन टेलीकाफ एक्ट 1885 भाग-3 के अन्तर्गत निहित शुक्रियाओं का प्रयोग करते हुए कार्य कर्त्तों को प्रावधानित किया गया है।

अतः आपको अनुरोध है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर तथा अनुमति प्राप्त कर वृक्षों को कटाई अन्वया
उक्त अधिकारी सामाज द्वारा के पश्चात इस विभाग द्वारा काट दिये जाएं। ऐसी दृष्टि में लकड़ी की छति या अन्य प्रकार की छति के लिये विभाग कदापि उत्तराधारी नहीं
होगा। वृक्षों का मुआवजा तहसीलसार/सम्बन्धित दायकीय विभाग द्वारा नियमित तथा सत्यापित एवं वृक्षों के पातन के बाद पावरग्रिड के द्वारा देय होगा।

वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	लोकेशन नं.	वृक्ष का नाम /प्रजाति	संख्या	वृक्ष की माप (मी.) (सींगे की ऊँचाई पर)		वृक्ष की अनु. आयु	खसरा नं./ मौजा	अन्य विवरण
				मौताई	ऊँचाई			
५५१००	१	लाल	०३	१-०.५०	३m.		१५६	
५५१००	२	रुचिरा	०१	०-१.२०	६m.		गाड़ा भिंडा झुरा	
५५१००	३	नोम	०१	०-०.८०	२m.			

कृत पावरग्रिड जयपुर
प्रतिलिपि

नोटिस प्राप्त किया :

१. तहसीलदार नियाम से वृक्षों का अधित मुआवजा बगाकर एवं स्थानित प्रमाणित
कर इस कार्यालय को प्रेषित करें जिससे वृक्षों का मुआवजा दिया जा सके।
२. उप जिला अधिकारी कृपया दिये गये विवरण के अनुसार उपरोक्त वृक्ष मालियों को आदत सरकार के उद्यम के द्वितीय वृक्षों को कटाने की अनुमति दें। यदि
उक्त वृक्ष मालिक गिरिहरित अवधि में विविध कार्यवाही सम्बन्धित अनुमति नहीं प्राप्त कर पाता है तो विद्युत परिवर्तियों को स्थान में रखते हुए इण्डियन टेलीकाफ
एक्ट के अधीन तथा सूखकों की स्थान में दर्खकर अधीक्षाकारी को उत्तिलिखित वृक्षों को कटाने की अनुमति प्रदान करें ताकि अधोहस्ताकारी द्वारा अधिक
कार्यवाही स्वयं के हाथ से पूर्ण की जा सके।

तहसील कार्य हेतु

सहायक महाप्रबंधक (पावरग्रिड)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री

पोल्ट

पर वृक्षों का मुआवजा द्वया

पुत्र श्री

गिवाली जाम

जिला

वृक्षों की संख्या प्रजाति सहित

राष्ट्रों

है। रिपोर्ट देवा हेतु अवश्यादित है।

हस्ताक्षर पटवारी (मुहर सहित)

हस्ताक्षर तहसीलदार (मुहर सहित)